

39

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 17/2030(त0.स0 2)/जोन-1/मु0हा0/2015-16 दिनांक 14/07/2016

अनुमति-पत्र (Revise)

यह अनुमति 2030 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस शूंगे के साक्ष्य में जिस पर Revise समूह आवास मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार या किसी स्थायी विकास या इसका स्थायी अधिकारी या व्यक्त अथवा फर्म के नासिद्धाना अधिकारों पर किसी का कोई अस्तर गड़वा अर्थात् यह अनुमति किसी के भित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री. यश जैन पुत्र श्री. अशोक कुमार जैन, शीमरी सावित्री देवी मल्लि स्व० रूपचन्द्र केशरधारी द्वारा असाजी संख्या 245, 246, 247 एवं 253 गीजा-उन्सरोली एयरहाउ, जी०टी० रोड इलाहाबाद जी० संख्या (1) के अन्तर्गत नाटिल Revise समूह आवास मानचित्र की स्वीकृति/निर्माण उपबन्धन गड़ोदण के अनुमोदनादेश दिनांक 17-07-2016 के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिभोग किया जायेगा, गलत निर्माण एवं विकास उपदिष्टे 2008 में उपदिष्टे संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. गड़ स्वीकृति अनियम (Provisions) स्वीकृति के रूप में होगी, निर्माण पूरा होने के उपरान्त, जहाँ आवश्यक Mandatory Clearance/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात् निर्माण किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकता।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. Revise समूह आवास मानचित्र पूर्व स्वीकृत 36 आवासीय इकाई रहित 98 इकाईयों हेतु है अर्थात् 32 अतिरिक्त आवासीय इकाईयों के निर्माण की अनुमति हेतु है।
5. संशोधित मानचित्र पर मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2016/19309/इला0/185/सीरन्डओ दिनांक 08.03.2016 में अंकित प्रावधानों का अक्षरशः पालन बाध्यकारी होगा (छायाप्रति संलग्न)।
6. मुख्य अग्निशमन-विद्युत इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2871/मु0आ0(आ0)/इला0/पे-2(मानचित्र) दिनांक 02.03.2016 में अंकित प्रावधानों का अक्षरशः पालन बाध्यकारी होगा (छायाप्रति संलग्न)।
7. निर्माण कार्य शुरूआती मंजूरि पर ही लिया जाय, गलत की संशोधना एवं सुस्था का शक्ति आवेदक/आपेदिष्टा का होगा।
8. पूर्व स्वीकृत मानचित्र परनेट संख्या 115/2030 नमन/जोन-1/मु0हा0/2015-16 दिनांक 31.12.2013 में अंकित शर्तों/प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
9. माननीय न्यायालय में कोई बाध होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वाभिव्यक्त सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त सम्झ जयेगा।
10. यदि आवेदक/आपेदिष्टा द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (3) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।

Handwritten signatures and date 14/7/16



STORY	NO. OF FLAT	AREA	AREA	AREA	AREA	AREA	AREA
1st	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
2nd	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
3rd	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
4th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
5th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
6th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
7th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
8th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
9th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
10th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
TOTAL	46	88	88	88	88	88	88


STORY	NO. OF FLAT	AREA	AREA	AREA	AREA	AREA	AREA
1st	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
2nd	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
3rd	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
4th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
5th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
6th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
7th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
8th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
9th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
10th	88	184.90	171.85	165.91	159.97	154.03	148.09
TOTAL	46	88	88	88	88	88	88

FIRST FLOOR


GROUND FLOOR

AREA DETAIL CHART	
SANC. STILT FLOOR AREA	1423.70 SQ. FT.
SANC. 1st FLOOR COVERED AREA	1263.50 SQ. FT. 42.73%
SANC. 2nd FLOOR COVERED AREA	1263.50 SQ. FT. 42.73%
SANC. 3rd FLOOR COVERED AREA	1263.50 SQ. FT. 42.73%
SANC. 4th FLOOR COVERED AREA	1263.50 SQ. FT. 42.73%
PROPO. 5th FLOOR COVERED AREA	1248.88 SQ. FT. 42.81%
PROPO. 6th FLOOR COVERED AREA	1057.17 SQ. FT. 35.75%
SANC. FIRE SCOPE AREA = (28.43X4)	117.72 SQ. FT.
SANC. F.A.R.	0.172 APPROX
ACHIEVED F.A.R.	02. APPROX

5th FLOOR PROPOSED



NOTE :-
 LIME CONC. IN FOUNDATION FLOORING OVER R.C.C.SLAB
 AREA AS PER RAJSTY (D180-571.12) = 9891.12 SQ. FT.
 AREA AS PER SITE (WITH PASSSESSION) = 671.35 SQ. FT.
 LAND SOLD OUT AREA = 52.10 SQ. FT.
 LAND LEFT FOR ROAD WIDENING = 2595.88 SQ. FT.
 NET AREA FOR GROUP HOUSING = 1423.70 SQ. FT.
 SANC. STILT FLOOR AREA = 1423.70 SQ. FT.
 SANC. 1st FLOOR COVERED AREA = 1263.50 SQ. FT. 42.73%
 SANC. 2nd FLOOR COVERED AREA = 1263.50 SQ. FT. 42.73%
 SANC. 3rd FLOOR COVERED AREA = 1263.50 SQ. FT. 42.73%
 SANC. 4th FLOOR COVERED AREA = 1263.50 SQ. FT. 42.73%
 PROPO. 5th FLOOR COVERED AREA = 1248.88 SQ. FT. 42.81%
 PROPO. 6th FLOOR COVERED AREA = 1057.17 SQ. FT. 35.75%
 SANC. FIRE SCOPE AREA = (28.43X4) = 117.72 SQ. FT.
 ACHIEVED F.A.R. = 02.50 APPROX
 OPEN AREA ON G. F. (STILT) = 1655.81 SQ. FT.
 SANC. COMMERCIAL AREA ON G. F. = 16.55 SQ. FT. 0.56%
 SANC. COMMERCIAL AREA ON F. F. = 16.55 SQ. FT. 0.56%
 MUNITY & MACHINE ROOM AREA = 60.00 SQ. FT.
 TOTAL GROUND COVERAGE = 1280.15 SQ. FT. 43.20%
 WATER TANK OF 10,000 LT. WILL BE PROVIDED IN EACH BLOCK.
 PROVIDE CAR PARKING = 62 NOS.
 SANC. AREA SHOWN THUS [Symbol]
 PROPOSED WORK SHOWN THUS [Symbol]
 SCHEME BOUNDARY SHOWN THUS [Symbol]
 TOTAL NO. OF FLATS = 16



EXISTING & PROPOSED BUILDING PLAN OF AFFORDABLE GROUP HOUSING ON ARZI NO. 243, 246, 247, 253 MAUZA - BAMRAULI UPARHAR, G.T. ROAD, ALLAHABAD.

SCALE: 1:100

OWNER :-
 SMT. SAVITRI DEVI
 WO. SRI. ROOP CHANDRA KESHARWANI
 SRI. YASH JAIN
 S/O. SRI. ASHOK KUMAR JAIN

ENCL. No. 1
 1:100
 10/10/2018
 10/10/2018
 10/10/2018

SIG. OF OWNER SIG. OF ENCL.

